

प्रपत्र-VI

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता, मधुबनी को यह प्रतीत होता है कि सरकारी परियोजनार्थ यथा एस0एस0बी0 कैम्प, महथा, थाना सं0-141, रेवेन्यू थाना -खजौली, अंचल-लदनियाँ, जिला-मधुबनी में भूमि का एक टुकड़ा आपेक्षित है, जिसका कुल रकवा 1.00 ए0 (एक एकड़) या 0.40 हेक्टेयर होता है, जिसका विवरण निम्नवत है।

जिला		अंचल		मौजा		थाना नं0		रेवेन्यू थाना		
मधुबनी		लदनियाँ		महथा		141		खजौली		
क्रम संख्या	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के जमीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	882	230	रैयती	कृषि	0.70	श्री राज कुमार यादव वो कमल नारायण यादव पे0 राज लाल यादव सा0 देहे	भारत नेपाल सीमा	खेसरा सं0-236 अंश	खेसरा सं0-231	खेसरा सं0-229
2	1166	236	रैयती	कृषि	0.30	श्री रामअवतार यादव वगै0 पे0 सोने लाल यादव सा0 देहे	खेसरा सं0-230	खेसरा सं0-236 अंश	खेसरा सं0-235	खेसरा सं0-229
कुल					1.00					

कुल एक मौजा में अर्जित कुल रकवा का योग-1.00 एकड़ यानि 0.40 हेक्टेयर भूमि भूमि अर्जन के कारण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य

है।


उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है ऐसे भोगों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस परियोजना, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है। परियोजना के निर्माण चरण के दौड़ान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ह0/0
समाहर्ता,
मधुबनी।

ज्ञापांक:—.../250/जिला भू-अर्जन, मधुबनी, दिनांक—17 वीं अगस्त, 2017 ई0

- प्रतिलिपि:—** निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार, पटना को प्रारूप की 2 प्रतियाँ एवं सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में, सामान्य अंको में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित कर एवं प्रकाशित संस्करण की दो-दो प्रति जिला भू-अर्जन कार्यालय, मधुबनी को उपलब्ध कराया जाय।
- प्रतिलिपि:—** प्रभारी उप-समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, मधुबनी को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित गजट की अतिरिक्त 2 प्रति में इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:—** अवर निबंधक, जयनगर/मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:—** अपर समाहर्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:—** अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर सह अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी एवं अंचल अधिकारी, लदनियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराया जाय। कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
- प्रतिलिपि:—** सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्ता, मधुबनी के वेबसाईट पर अपलोड कर अघोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।
- प्रतिलिपि:—** सूचना एवं जनसंपर्क, पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:—** आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:—** निदेशक, भू-अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


समाहर्ता
मधुबनी।